



परिवर्तनकारी वैश्विक पुलसिगि

यह एडिटरियल 18/10/2021 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Why Interpol needs to get better at countering global challenges" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में आयोजित हो रही इंटरपोल महासभा की बैठक और वैश्विक पुलसि व्यवस्था के समक्ष वदियमान चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

वशिव का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलसि संगठन 'इंटरपोल' (Interpol) सीमा-पार पुलसि सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। भारत में लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद [इंटरपोल महासभा \(Interpol General Assembly\) की बैठक](#) आयोजित हो रही है। पछिली बार भारत में यह बैठक वर्ष 1997 में आयोजित की गई थी।

- अपराधिक परदृश्य के विकास पर ध्यान दें तो प्रौद्योगिकीय विकास के कारण अपराध अधिक परिष्कृत, अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के और जाँचकर्ताओं के लिये अधिक जटिल होते जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय पुलसि मानकों को बनाए रखने के लिये इस दशा में गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इंटरपोल क्या है?

- [अंतरराष्ट्रीय अपराधिक पुलसि संगठन/इंटरपोल](#) (International Criminal Police Organisation- Interpol) की स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी ताकि विश्व भर में अपराधिक जाँच को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- इंटरपोल के भारत सहित 195 सदस्य देश हैं। वे पुलसि जाँच से संबंधित डेटा साझा करने के लिये मलिकर कार्य करते हैं।
- इंटरपोल न तो कोई जाँच एजेंसी है, न ही यह कोई फ्रंट-लाइन पुलसि बल है। इसे सूचना साझा करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बैक-एंड तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
 - प्रत्येक देश एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (Interpol National Central Bureau- NCB) की मेजबानी करता है, जो राष्ट्रीय पुलसि को वैश्विक नेटवर्क से संयुक्त करता है।
 - भारत में [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो](#) (Central Bureau of Investigation- CBI) इंटरपोल की सहयोगी एजेंसी है।

इंटरपोल नोटिस क्या है?

- इंटरपोल नोटिस (Interpol Notices) सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतरराष्ट्रीय अनुरोध होते हैं जो सदस्य देशों में पुलसि को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण सूचना साझा करने की अनुमति देते हैं।
 - ये नोटिस सामान्य सचिवालय (General Secretariat) द्वारा जारी किये जाते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायाधिकरणों (International Criminal Tribunals) और [अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय](#) (International Criminal Court- ICC) के अनुरोध पर भी नोटिस जारी किये जा सकते हैं ताकि वे अपने क्षेत्राधिकार में अपराध के लिये, विशेष रूप से नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के लिये वांछित व्यक्तियों की तलाश कर सकें।
 - सुरक्षा परिषद द्वारा आरोपित प्रतर्बिधों के कार्यान्वयन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर भी नोटिस जारी किये जा सकते हैं।



वैश्विक पुलिस व्यवस्था के समक्ष वदियमान चुनौतियाँ

- **त्वरति प्रौद्योगिकी, चुनौतीपूर्ण नीतियाँ:** अगले दशकों में डिजिटलीकरण की वृद्धि, हाइपर-कनेक्टिविटी और डेटा की मात्रा में घातीय वृद्धि की वशिषता होना संभावित है।
 - जैव हथियार और परमाणु प्रौद्योगिकी जैसे वभिन्न कषेत्रों का अभसिरण प्रभावी वैश्विक पुलिस व्यवस्था के लिये नए खतरे उत्पन्न करने के लिये तैयार है।
- **वैश्विक प्रवासन में वृद्धि और जेनरेशन-ज़ेड का युग:** वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के बने रहने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा, अगला दशक जेनरेशन जेड (Gen-Z) की परपिक्रवता से आकार लेगा, जो पूरी तरह से डिजिटल युग में उत्पन्न हुई है और स्मार्टफोन-आधारित सोशल मीडिया पैठ की उच्च दर की वशिषता रखती है। इससे दो देशों के मध्य डेटा-उल्लंघन और साइबर युद्ध की संभावना पैदा होती है।
- **वैश्विक भरोसे की कमी की वृद्धि:** वैश्विक पुलिस व्यवस्था की कल्पना केवल वैश्विक सहयोग के साथ सामंजस्य में ही की जा सकती है, लेकिन वर्तमान में विश्व भू-रणनीतिक प्रतस्पर्द्धा का सामना कर रहा है, बहुधरुवीयता को आकार दे रहा है और सीमा-पार तस्कारी एवं आतंकवाद जैसे पारंपरिक समस्याओं की वृद्धि हो रही है।
 - दुनिया भर में सरकारें, व्यवसाय और मीडिया बढ़ते भरोसे की कमी और सामाजिक धरुवीकरण का सामना कर रहे हैं। भरोसे के इस बदलते परदृश्य में सथितिक मीडिया और डिजिटल रूप से सक्षम भ्रामक सूचना एवं दुष्प्रचार के उभार के माध्यम से प्रौद्योगिकी इसमें एक उल्लेखनीय भूमिका नभिरही है।
- **जलवायु परविरतन और वैश्विक पुलिस व्यवस्था:** जलवायु परविरतन के कारण अधिक लगातार और गंभीर चरम मौसमी घटनाएँ 'इकोसाइड' (Ecocide) के इन जोखिमों पर सार्वजनिक चिंताओं को बढ़ा रही हैं।
 - यह वैश्विक सार्वजनिक सुरक्षा कषमताओं और संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा रहा है।
- **वैश्वीकरण की बदलती लहर:** बढ़ती आय असमानता और राष्ट्रवादी भावनाओं ने वैश्वीकरण के वरिद्ध एक प्रतिक्रिया को हवा दी है। देशों के बीच बढ़ते व्यापार वविवाद इसकी पुष्टि करते हैं।
 - आने वाले दशकों में लोकलुभावनवाद (populism) और राष्ट्रवाद (nationalism) के महत्त्वपूर्ण प्रतिकारी शक्ति बने रहने की पूरी संभावना है।
 - दीर्घावधि में इसका कषेत्रीय, द्वपिकषीय या अनौपचारिक व्यवस्थाओं पर अधिक नरिभरता के साथ पुलिस सहयोग सहित मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के लिये परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- **सीमति पुलिस कषेत्राधिकार:** दुनिया भर की लोकतांत्रिक राजनीति में पुलिस बलों को कानूनी प्रक्रियाओं की सीमाओं के भीतर संयम के साथ कार्य करना पड़ता है, जबकि कानून तोड़ने वाले गतिशीलता और इंटरनेट तक पहुँच की आसानी का उपभोग करते हैं।

आगे की राह

- **रेड नोटिस प्रक्रिया को तेज़ करना:** भगोड़े अपराधियों को रेड नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिये इंटरपोल के नोटिस तंत्र में सुधार किया जाना चाहिये, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि भ्रष्ट, आतंकवादी और ड्रग कार्टेल कोई सुरक्षित आश्रय नहीं हो सकता।
- **पूर्व अभिज्ञान एवं चेतावनी प्रणाली:** वैश्विक पुलिस व्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाने के लिये पूर्व अभिज्ञान एवं चेतावनी प्रणाली (Early Detection and Warning System) और खुफिया आदान-प्रदान (intelligence exchange) की स्थापना हेतु अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक विसिक्ति करने की ज़रूरत है।
- **राजनीतिक दूरति से जन केंद्रित पारतंत्र की ओर आगे बढ़ना:** पुलिस व्यवस्था को भू-राजनीतिक मुद्दों के रंगमंच से दूर रखने की आवश्यकता है। लोक-उत्साही कुशल पुलिस व्यवस्था सबसे सारथक वशिवास-नरिमाण उपाय है जिसकी वविधि भू-राजनीतिक समोच्च के लोग इच्छा रखते हैं और वे इसके हकदार भी हैं।
 - इंटरपोल और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिये एक लोक-केंद्रित पारतंत्र के नरिमाण, इसके रखरखाव और संचालन का प्रयास करना चाहिये।

- **साइबर अपराधों के लिये साइबर-पुलिसिंग विकसित करना:** अपराध के बढ़ते परिष्करण, जटिलता और अंतर्राष्ट्रीयकरण से निपटने के लिये नई डिजिटल खोजी एवं डेटा प्रबंधन क्षमताओं और नवोन्मेषी एआई-संवर्द्धित साधनों जैसी विशेषज्ञता को पाना समय की आवश्यकता है।
 - उदाहरण के लिये, दुनिया भर में साइबर अपराध की स्थितिको उपयुक्त रूप से देख सकने के लिये आपराधिक आँकड़ों को अद्यतन करना होगा।
 - सहकार्यता की वृहत आवश्यकता की पूर्तिके लिये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग का विकसित होना और एक-दूसरे से अधिक गहनता से संबद्ध होना आवश्यक है।
- **भारत के लिये अवसर:** भारत अब एक स्वीकृत प्रौद्योगिकी महाशक्ति है। स्टार्टअप में एक बड़े और युवा प्रौद्योगिकी-उन्मुख कार्यबल के भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग सुरक्षा संरचना के उन्नयन और विश्व के लिये प्रभावी पुलिसिंग मानकों को स्थापित करने हेतु किया जा सकता है।
 - सीबीआई प्रशिक्षण अकादमी द्वारा संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय कौशल विकास संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बरिदरी, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है।

अभ्यास प्रश्न: वैश्विक पुलिस व्यवस्था से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं और बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिये इंटरपोल किस हद तक वैश्विक सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकता है?

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/towards-transformative-global-policing>

